25.7.24 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान अभिभाषक उपस्थित। [illegible]
पत्रावली जवाब हेतु [illegible]
हेतु दिनांक 20.8.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

20.08.2024

पक्षकारान वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान वकील को सुना गया।

विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर जवाब पेश किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 558/342, 560/350, 562/364, 566/488 कुल रकबा 7.3073 हैक्टेयर ग्राम सोढ़ो की ढाणी तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढ़ा सेढ़ विपक्षीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विपक्षीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम सोढ़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 558/342, 560/350, 562/364, 566/488 कुल रकबा 7.3073 हैक्टेयर भूमि की पक्की मेंढबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील विपक्षी सं. 1 से 3 की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 320, 341, 342, 350, 363, [illegible] ग्राम सोढ़ो की ढाणी 488/330, 520/346 कुल रकबा [illegible] भूमि के ... में प्रार्थी गोमसिंह द्वारा श्रीमानजी की न्यायालय में राजस्व ... किया, जिसमें प्रार्थी ...सिंह ने एकतरफा रूप से मौके पर वास्तविक बंटवारा के विपरीत तथा राजस्व नियमों की अवहेलना करते हुए विभाजन का निर्णय राजस्व वाद संख्या 31/2019 अन्तर्गत गोमसिंह बनाम पदमसिंह वगैरा में 11.02.2021 को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के न्यायालय से पारित करवाया। कि उक्त निर्णय के विपरीत विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

73/2024

न्यायालय द्वारा मौके की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब कर रखी है. मौका रिपोर्ट आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी / टीए / 6207 / 2023 / जिला बालोतरा अनवान गीगसिंह बनाम शंकरसिंह वगैरा में राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का फर्जी तरिके से राजस्व नियमों के विरूद्ध विभाजन एकतरफा रूप से करवाया है जिसको अपीलान्ट न्यायालय में जरिये अपील व निगरानी के चुनौती दी जा चुकी है। अब प्रार्थी नेखमबन्दी के जरिये मौके पर विप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि जिसे प्रार्थी ने फर्जी तरिके से विभाजन करवाया उसे हडपने तथा मौके से विप्रार्थीगण को बैदखल कर मौके स्थिति में परिवर्तन करने की नियत से यह आवेदन पत्र नेखमबन्दी का पेश किया है, जबकि मौका की वस्तुस्थित की रिपोर्ट अपीलान्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई है जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी में मौके पर किसी प्रकार के फैरबदल एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट पर स्थगन के जरिये रोक लगाई है, यदि प्रार्थी इस आवेदन के जरिये आदेश पारित करवाता है तो विप्रार्थी की अपील का औचित्य तथा अपीलान्ट कोर्ट के आदेशो की घोर अवहेलना होगी ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि से सम्बधित अपील के विचाराधीन होने एवं राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किये जाने से एवं प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में अपर न्यायालय में विचाराधीन अपील एवं निगरानी का हवाला नहीं देकर न्यायालय से तथ्य छुपाये है एवं गलत तथ्य पेश किये है, जिससे तथ्यहीन तथा गलत तथ्यों पर आवेदन के आधारित होने से आवेदन पत्र खारिज योग्य है। अतः वादग्रस्त भूमि के मूल खसरों का विभाजन गलत होने तथा प्रार्थी के नाम से सृजित नवीन खसरा के विरूद्ध में अपीलान्ट न्यायालय में अपील विचाराधीन होने एवं राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन जारी होने से प्रार्थी का आवेदन मिथ्या एवं तथ्यहीन पेश होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 558 / 342, 560 / 350, 562 / 364, 566 / 488 कुल रकबा 7.3073 हैक्टयर ग्राम सोढ़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की पक्की नेखम[illegible] आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके विपरीत वकी[illegible] संख्या 1 से 3 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की खेत खसरा संख्या [illegible] 350, 353, 364, 376 ग्राम सोठों की ढाणी [illegible] 284–18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी गीगसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पर निर्णय दिनांक 11.02.2021 के विरूद्व न्यायालय अपील अधिकारी बाड़मेर में अपील विचाराधीन है तथा उसी अपील के विरूद्व प्रार्थी द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कार्यवाही को स्थगित किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण पक्षकारान के सामलाती जोत में घोषणा तथा उसके कब्जा काश्त को लेकर है। यदि उक्त आवेदन पत्र पर मूल वाद में अपीलीय न्यायालय में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णय से पूर्व किसी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है अथवा यदि मूल वाद के निर्णय से वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं अंथवा मौका पस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ ही अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मूल वाद के विरूद्व अपीलीय आवेदन सं. 82/2021 शंकरसिंह अनाम गीगसिंह एवं राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी सं. 6207/2023 गीगसिंह बनाम शंकरसिंह में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन अपील/निगरानी के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी